संख्या-286/2025/आई/959430/41-2002-001-69-2024-CN-1796992

प्रेषक,

सर्वेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उ0प्र0, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-2 **लखनऊ, दिनांक 09 मई, 2025**

विषयः- जनपद झाँसी के दिगारा फोर्ट की ओर जाने वाले पहुँच मार्ग का नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण के कार्य की परियोजना को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-431/6-1-1/(561)/2023-24 दिनांक 30.04.2025 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा जनपद झाँसी के दिगारा फोर्ट की ओर जाने वाले पहुँच मार्ग का नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण के कार्य स्थल की भूमि विवादित होने के कारण परियोजना को निरस्त किये जाने तथा शासनादेश संख्या-80/2024/आई/512367/001-41-2002-001-69-2024-सीएन-1796992 दिनांक 05.03.2024 द्वारा अवमुक्त धनराशि रू0 30.00 लाख (रू0 तीस लाख मात्र) को राजकोष में जमा किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त शासनादेश संख्या-80/2024 /आई/512367/001-41-2002-001-69-2024-सीएन-1796992 दिनांक 05.03.2024 द्वारा जनपद झाँसी के दिगारा फोर्ट की ओर जाने वाले पहुँच मार्ग का नवीनीकरण/सुदृढ़ीकरण के कार्य की स्वीकृत परियोजना को निरस्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। कृपया तदनुसार शासनादेश संख्या-80/2024/आई/512367/001-41-2002-001-69-2024-सीएन-1796992 दिनांक 05.03.2024 द्वारा अवमुक्त की गयी धनराशि रू0 30.00 लाख (रू0 तीस लाख मात्र) को ब्याज सहित राजकोष में जमा कराते हुए उक्त की सूचना शासन को एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 शासन।
4- जिलाधिकारी, झाँसी।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ ।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य पर्यटन विकास निगम लि0, लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
8- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी (रा0यो0), पर्यटन निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
10- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, झाँसी मण्डल, झाँसी।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(सर्वेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in